न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 238/12 **निर्णय दिनांकः– 28–02–2020**
(आरसीएमएस सख्या 2012/00037)

1. वासुदेव पुत्र हनुमानप्रसाद जाति स्वामी निवासी लाम्बाहोहड़ा तहसील चिड़ावा जिला झूँझनू

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजू पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी चक 11 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28–06–2008
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–
1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 28–06–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि बतौर मोहरबन्द रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 11 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 173/50 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर मोहरबन्द आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर के अनुमोदन आदेश दिनांक 03–09–2010 के अनुसरण में उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा दिनांक 08–03–2010 को 20 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई तथा अपीलांट द्वारा अपने आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु संबंधित पटवारी से सम्पर्क किया गया। तक उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित है। ऐसी स्थिति में आपके आवंटन का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं किया जा सकता। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। यदि उक्त भूमि पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित थी तो ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को रिकार्ड की स्थिति मंगाते हुए अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं मिल सकता। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन अपीलांट को बतौर मोहरबन्द बोली में दिनांक 08–09–2010 को कर दिया गया।

चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन दिनांक को उक्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर मोहरबन्द किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को बतौर मोहरबन्द श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि चक 11 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 173/50 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 28–06–2008 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् धरोहर राशि मय 20 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 946 दिनांक 05–03–2008 को जमा करवा दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी।

राजस्थ अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में दिनांक 08–09–2010 को कर दिया गया। अदालत मातहात द्वारा उक्त दोनों आवंटन जिला कलेक्टर बीकानेर के मुहरबन्द बोली द्वारा भूमि नीलामी हेतु प्राप्त उच्च क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन निम्न शर्तो के अध्याधीन किया गया है कि प्रस्तावित रकबा मुहरबन्द नीलामी हेतु राजपत्र में अधिसूचित है, क्रय प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के ऊपर 15 प्रतिशत से कम नहीं है, तथा प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं के अनुसरण में किये गये है तथा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या1 द्वारा वादगत् भूमि की तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने–अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व दोनों ही आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किये गये है। ऐसीस्थिति में किसी एक पक्ष के आवंटन को खारिज करते हुए अन्य पक्ष के आवंटन को बहाल रखा जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटनों की वैधता की जॉच करते हुए प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: